उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (लेखा) अनुभाग–2

संख्या ए-2–75/दस–77-14(4)/74

लखनऊ, दिनांक 3 फरवरी, 1977

कार्यालय ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य के एक सेवा विभाग (Service Department) द्वारा दूसरे सेवा विभाग को कोई सेवा वर्तमान नियमों के अनुसार बिना मूल्य लिये की जाती है। इस सिद्धान्त के अनुसार एक सेवा विभाग द्वारा कोई भूमि या भवन जिसकी उस विभाग को आवश्यकता न हो, दूसरे सेवा विभाग को बिना मूल्य लिये हस्तान्तरित की जा सकती है। परन्तु ऐसे मामलों में वित्त विभाग की सहमति आवश्यक होती है। वित्तीय अधिकारों के विकेन्द्रीयकरण के सिलसिले में वित्त विभाग को यह सुझाव दिया गया कि भूमि हस्तान्तरण के मामलों में प्रशासकीय विभाग को पूर्ण अधिकार प्रतिनिहित कर दिये जायें। प्रस्ताव पर समुचित विचार करने के उपरान्त राज्यपाल महोदय प्रशासकीय विभागों के सचिवों को राज्य के एक सेवा विभाग द्वारा दूसरे सेवा विभाग को निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत भूमि हस्तान्तरण करने के अधिकार प्रतिनिहित करते हैं।

(1) भूमि का हस्तान्तरण बिना मूल्य लिये किया जायेगा। इन मामलों में भूमि के बाजार मूल्य की सीमा पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

(2) जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरण किया जा रहा हो वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिये आवश्यक प्राविधान किया जा चुका हो तथा केवल उतनी ही भूमि का हस्तान्तरण किया जाये जितनी कार्य विशेष के लिये आवश्यक हो।

(3) भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।

(4) यदि भूमि वन विभाग की 'रक्षित वन भूमि' हो तो वह हस्तान्तरण के बाद भी 'रक्षित वन भूमि' बनी रहेगी। "रक्षित वन भूमि" के हस्तान्तरण से संबंधित ग्रामवासियों की कोई आपत्ति न हो और हस्तान्तरित भूमि के उपयोग करने में साथ में लगी हुई वन भूमि और वन सम्पदा को कोई हानि नहीं पहुंचाई जायेगी।

(5) वन विभाग दूसरे सेवा विभाग से हस्तान्तरित भूमि का कोई मूल्य नहीं लेगा लेकिन यदि उस भूमि पर पेड़ इत्यादि अन्य वन सम्पदा हो तो प्राप्तकर्ता विभाग द्वारा वन विभाग को उक्त वन सम्पदा का मूल्य भुगतान करना पड़ेगा।

(6) हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिये उपयोग की जाय तो उसके लिये मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा और यदि भूमि की आवश्यकता न हो या तीन वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लाई जाती तो उसे मूल विभाग को वापस करना होगा।

2––वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–1 में आवश्यक संशोधन यथा समय जारी किये जायेंगे।

गोपाल प्रसाद अग्रवाल,
उप सचिव।

सचिवालय के समस्त अनुभाग

संख्या ए–2–75 (1)/दस–77–14 (4)/74, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :—

1––समस्त सचिव/विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2––महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आज्ञा से,
गोपाल प्रसाद अग्रवाल,
उप सचिव।